

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक: प.8(ग)(1)नियम/डीएलबी./18/13527
संशोधित अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 08/06/18

विभागीय अधिसूचना क्रमांक: प.8(ग)(1)नियम/डीएलबी./18/6989-6991 दिनांक 20.03.18 के विन्दु संख्या 2 के संबंध में निम्न स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है:-

"वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी एवं सफाई कर्मचारी सेवा के कार्मिकों के वेतन निर्धारण का कार्य नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में कार्यरत लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम करेंगे। यदि नगरीय निकायों में उक्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम कार्यरत नहीं है, तो उस स्थिति में संबंधित नगर परिषद/पालिका बोर्ड के आयुक्त/अधिशायी अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष होंगे तथा ये उक्त संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमानुसार वेतन निर्धारण करने हेतु सक्षम होंगे।"

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
जयपुर, दिनांक 08/06/18

क्रमांक: प.8(ग)(1)नियम/डीएलबी./18/13528-13931

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज.सरकार,जयपुर।
02. विशिष्ट सचिव, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/ परिषद/पालिकाए समस्त राज0।
05. मुख्य लेखाधिकारी स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
06. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाए समस्त राज0 जयपुर।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्राणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपर्युक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु। सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

01. अध्यक्ष, राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फैंडरेशन, जयपुर।
02. प्रदेशाध्यक्ष, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कॉंग्रेस, जयपुर।
03. राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक सेवा परिषद, जयपुर।